


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म कार्यवाही मय इनिशयल्स जज</p>	<p>नमब तारीख अहकाम इस हुक्म के तामील में जारी हुए</p>
<p>11.7.18</p>	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान- न्याय आपके द्वार 2017 के फालोऑप केम्प स्थल अटल सेवा केन्द्र सिणधरी चारणान में पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार सिणधरी उपस्थित। प्रार्थी ने निवेदन किया ,कि आवेदन में निम्नांकित रकबे का मौके पर आमजन द्वारा रास्ते में उपयोग लिया जा रहा है। जबकि राजस्व रिकोर्ड में भूमि राजस्थान सरकार के खातें मे दर्ज है। कि उक्त भूमि को गैर मुमकिन रास्ते में दर्ज किया जावें।</p> <p>हमने प्रार्थी को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि आवेदन में उल्लेखित भूमि राजस्थान सरकार के खाते मे दर्ज है। जबकि प्रस्तावित रकबे का गैर मुमकिन रास्ते में उपयोग हो रहा है। जिसे राजस्व रिकोर्ड में भी गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनवाया गया और शामिल पत्रावली किया गया।</p> <p>पत्रावली रिझू फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी </p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.आ) सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र सिणधरी चौसिरा

क्रमांक:/राजस्व/2017/

दिनांक 11.7.17

505

मुकदमा स.174/17

-:आदेश:-

श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांक:प.12(1)राजस्व/2016/7205-40 दिनांक 10.10.2016 प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम एड सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2072-2075 के अनुसार निम्नांकित भूमि राजकीय सिवायचक (समर्पण भूमि) दर्ज है। लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है, जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमि धारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक:प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 60(एच) के तहत राजस्व ग्राम एड सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी की निम्नांकित राजकीय सिवायचक भूमि (समर्पण भूमि) को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र.स.	खातेदार का नाम	ख.न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि	
					रकबा	किस्म
1	राजस्थान सरकार	315/104	0-19	बा.दो.	0-19	गे.मु.रास्ता
2	राजस्थान सरकार	314/102	3-02	बा.दो.	3-02	गे.मु.रास्ता
3	राजस्थान सरकार	313/96	0-14	बा.दो.	0-14	गे.मु.रास्ता
4	राजस्थान सरकार	312/91	0-19	बा.दो.	0-19	गे.मु.रास्ता
5	राजस्थान सरकार	311/91	0-01	बा.दो.	0-01	गे.मु.रास्ता
6	राजस्थान सरकार	309/91	0-09	बा.दो.	0-09	गे.मु.रास्ता
7	राजस्थान सरकार	310/89	0-16	बा.दो.	0-16	गे.मु.रास्ता
8	राजस्थान सरकार	308/73	0-15	बा.दो.	0-15	गे.मु.रास्ता
9	राजस्थान सरकार	307/73	0-15	बा.दो.	0-15	गे.मु.रास्ता
10	राजस्थान सरकार	306/73	2-03	बा.दो.	2-03	गे.मु.रास्ता
11	राजस्थान सरकार	303/71	0-09	बा.दो.	0-09	गे.मु.रास्ता
12	राजस्थान सरकार	301/71	0-06	बा.सो.	0-06	गे.मु.रास्ता
13	राजस्थान सरकार	302/71	0-03	बा.सो.	0-03	गे.मु.रास्ता
14	राजस्थान सरकार	300/71	0-11	बा.सो.	0-11	गे.मु.रास्ता
15	राजस्थान सरकार	304/71	0-12	बा.सो.	0-12	गे.मु.रास्ता
16	राजस्थान सरकार	305/63	1-06	बा.दो.	1-06	गे.मु.रास्ता



क्रमांक:/राजस्व/2017/

506 - 07

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक पालनार्थ।

1. श्रीमान जिला कलक्टर, बाड़मेर।
2. तहसीलदार सिणधरी

(नाथुसिंह राठौड़)

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

दिनांक 11.7.17

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी